

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम: Urban Health Centre through PPP

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक-1 के आधार पर): Urban RCH Services

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० को संख्या (अनुलग्नक-1 के आधार पर): A.5.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम):

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा राज्य के 03 जिलों (समस्तीपुर, पटना एवं नालन्दा) में लोक निजी साझेदारी के तहत शहरी स्वास्थ्य केन्द्र कार्यक्रम संचालन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य-

- (क) Quality Primary Health Care Services का पहुँचाना है।
- (ख) मुफ्त ओपी०डी० सुविधा, अर्थात् मुफ्त डॉक्टरों परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।
- (ग) डॉक्टर (एम०बी०बी०एस०) तथा नर्स ग्रेड-ए / ए०एन०एम० की सेवा।
- (घ) टीकाकरण
- (ङ) परिवार नियोजन एवं संस्थागत प्रसव की सुविधा।
- (च) उच्च स्तरीय सरकारी अस्पताल में रेफर किया जायेगा।

- प्रथम चरण में नालन्दा, पटना एवं समस्तीपुर में एक-एक नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र (Urban Health Centre) किये गये हैं। यह नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र निजी साझेदारी के द्वारा किया जाना है जिसके लिए निविदा प्रकाशित कर प्राईवेट क्लिनिक को चयनित करने के उपरान्त जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एकरारनामा भी किया गया है।
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा मुफ्त ओ.पी.डी., टीकाकरण, एन्टीनेटल केयर, टी.टी. टीकाकरण, आई.एफ. ए. परिशिष्ट, पोषण संबंधी परामर्श, शिशु के जन्म के पूर्व गर्भवती का शारीरिक परीक्षण, ब्लड प्रेसर जाँच, गर्भ में शिशु की स्थिति जानने हेतु प्रसूति का उदर जाँच, खतरे के निशान की पहचान, सौपी गयी अन्य सेवाएँ, शिशु स्वास्थ्य सेवा (स्तनपान, टीकाकरण), डायरिया का प्रबंधन, लघु बीमारियों की जाँच, प्रसव सेवा तथा परिवार नियोजन सेवा का कार्यान्वयन किया जाना है। प्रसव तथा परिवार नियोजन सेवा आवश्यक सेवा नहीं है।
- नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र संबंधित सिविल सर्जन के साथ कार्य करेंगे तथा संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला पदाधिकारी के संचालन नियंत्रण में होगी।

इकाई राशि (रु० लाख में) एवं वित्तीय दिशा निर्देशन :

(क) प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र को 45000/- रुपये प्रति महिना देय होगा, जिसकी मद्दवार विवरणी निम्न है-

श्रमशक्ति का वेतन	1 चिकित्सा पदाधिकारी (एम०बी०बी०एस०), 2 ग्रेड नर्स-ए / ए०एन०एम० एवं 1 स्टॉफ	रु० 38,000/-
सर्विस चार्ज		रु० 7,000/-

(ख) प्रोत्साहन राशि: प्रसव (प्रति माह 55 प्रसव से अधिक) एवं परिवार नियोजन ऑपरेशन (प्रति माह 40 ऑपरेशन से अधिक) के लिए प्रोत्साहन राशि रु० 10,000/- प्रति माह प्रति शहरी स्वास्थ्य केन्द्र देय होगा।

- (ग) जहाँ परिवार नियोजन दिवस मनाया जायेगा उसके लिए सप्ताह में 4 परिवार नियोजन (दिन-एक प्रति सप्ताह) के लिए एजेंसी को रू0 8000/- देय होगी। इसमें से एक दिन के लिए सर्जन या एनेस्थेसिया के लिए रू0 1000/- प्रति दिन के दर से राशि दि जायेगी।
- (घ) जहाँ जननी बाल सुरक्षा योजना एवं परिवार नियोजन योजना किया जायेगा वहाँ प्रोत्साहन राशि उन लाभार्थियों को शहरी स्वास्थ्य केन्द्र में देय होगा। व्यय की गयी राशि की मॉग की रसीद की प्रस्तुती पर संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति भुगतान करेगी, संबंधित परिवार नियोजन या जननी बाल सुरक्षा योजना मद से।
- (ङ) 'सेवा कर' स्वास्थ्य समिति द्वारा भुगतान किया जाना है।
- (च) शहरी स्वास्थ्य केन्द्र को भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रतिनियुक्त सरकारी स्टॉफ के प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए स्टॉफ को निम्न पंजी बनाना होगा - उपस्थिति, ओपीडी0 रोगी, इनडोर रोगी, प्रसव, प्रतिरक्षित वच्चे गर्भवती महिलाएँ एवं परिवार नियोजन ऑपरेशन (स्त्री एवं पुरुष), जटिल प्रसव (रिफर)
- (छ) जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य सचिव/सिडिल सर्जन को एजेंसी द्वारा प्रत्येक महिना के दिनांक 5 तक विपत्र की प्रति जमा की जानी है।
- (ज) व्यय की गयी राशि का भुगतान वास्तविक विपत्र या रसीद पर किया जायेगा जिसका सत्यापन के लिए त्रिमाही लेखा प्रतिवेदन जमा होना चाहिए।

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र (पत्र ० सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

- (क) SHSB/SPM/17/2008/7770 Dated 01/10/2008 (ख) SHSB/SPM/17/2008/7869 dated 15/10/2008
- (ग) SHSB/PM/17/2008/8467 Dated 27/11/2008

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : राशि जयासवाल

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9470003016